अपील सूचना अधिकार संख्या 87/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
87/2016

07-02-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निम्नलिखित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपील संख्या एमए/63/2016 के साथ 1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिसमें सूचनाएं मांगी गयी है 2. प्रथम अपील की प्रमाणित प्रति 3. निर्णय प्रथम अपील 16/15 निर्णय 14 मार्च 2015 4. परिवाद व द्वितीय अपील की प्रमाणित प्रति

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 674 दि0 03.06.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के रजि0 पत्र सं0 410 दिनांक 21.04.16 के द्वारा प्रार्थी को लिखा गया था कि दि0 25.04.2016 में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का अवलोकन कर वांछित दस्तावेजो को चिन्हित कर अवगत करवावें ताकि प्रमाणित प्रतिलिपिया उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन प्रार्थी निश्चित दिनांक को रिकार्ड निरीक्षण हेतू उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी को बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना जो उनके कार्यालय में उपलब्ध है कि चित्रित प्रतियां पत्रं सं0 673 दिनांक 03.06.16 को पंजिकृत डाका द्वारा प्रार्थी को निम्नानुसार भिजवा दी गई है:-

उक्त वांछित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रकार से प्रेषित है:- 1. प्रार्थना पत्र की चित्रप्रति सलंग्न है। 2. प्रथम अपील की चित्रप्रति सलंग्न है। 3. निर्णय प्रथम अपील 16/15 निर्णय दिनांक 14.03.2015 की चित्र प्रति सलंग्न है 4. सूचना आयोग में प्रस्तुत अपील की चित्र प्रति सलंग्न है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 673 दिनांक 03.06.16 से रजि0 डाक द्वारा अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है जो अपील प्रस्तुत होने के उपरान्त भिजवाई गई है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे सूचनांए प्राप्त नही हुई है। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि उक्त सूचनांओ की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर